संख्याः शिक्षा-एच(प्रा0) (4) 4-24/2004
हिमाचल प्रदेश सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय

दिनांक शिमला-171001 नवम्बर, 2009

सेवा में

1. समस्त उप-निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश ।
2. समस्त खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।

विषयः- **पांचवी कक्षा की शीतकालीन अवकाश वाली पाठशालाओं की दिसम्बर-2009 में ली जाने वाली वार्षिक परीक्षा के सम्बंन्ध में दिशा निर्देश ।**

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आपका ध्यान हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः EDN-C-F(1)1/2003-Loose Dated 4th November,2009 की ओर आकर्षित करते हुए आपको यह अवगत करवाया जाता है कि हिमाचल प्रदेश में कक्षा एक से सात तक सतत् समग्र मूल्याकंन (Continuous Comprehensive Evaluation) को इस वर्ष से आरम्भ करने का निर्णय लिया गया हैं। इस परिपेक्ष में शीतकालीन पाठशालाओं में इस वर्ष पांचवी कक्षा की वार्षिक परीक्षा का संचालन निम्न प्रकार से किया जायेगा।

1. हर वर्ष की भान्ति इस वर्ष भी शीतकालीन पाठशालाओं में 5वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा गणित , अग्रेंजी ,हिन्दी व पर्यावरण आदि सभी विषयों में ली जायेगी। परीक्षा की तिथियां दिनांक 07.12.2009 से 11.12.2009 तक रहेगी। (दिनांक 09.12.2009 के दिन अवकाश रहेगा)
2. इन परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा उप-निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालय में सम्भवत दिनांक 27.11.2009 तक उपलब्ध करवा दिये जायेंगे । इसके उपरान्त सभी उप-निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा अपने अधीनस्थ खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों से यह सुनिश्चित कर लें कि दिनांक 28.11.2009 तक सभी परीक्षा प्रश्न पत्र उनके अधीनस्थ प्राथमिक पाठशालाओं के परीक्षा केन्द्रों के केन्द्र अधीक्षक/ प्राथमिक पाठशाला के मुख्य शिक्षक / केन्द्रीय मुख्य शिक्षक के पास पहुंच जायें ।
3. पहली व दूसरी तिमाही की परीक्षाएं यथावत संबन्धित पाठशाला द्वारा ही आयोजित की जायेगी। अन्तिम परीक्षा हेतु केन्द्रीय मुख्य शिक्षक परीक्षा केन्द्र इस प्रकार चिन्हित करेगें कि परीक्षा के लिए बच्चों को 1.5 कि0मी0 से अधिक न चलना पड़े। संचालन स्टॉफ की नियुक्ति सम्बन्धित केन्द्रीय मुख्य शिक्षक करेंगे। परीक्षा केन्द्र अधीक्षक उसी क्लस्टर की किसी भी प्रारम्भिक पाठशाला के मुख्य शिक्षक/ शिक्षक में से होगें। यदि वे आवश्यक समझें तो केन्द्रीय मुख्य शिक्षक स्वयं भी परीक्षा अधीक्षक के तौर पर कार्य कर सकते हैं।
4. वर्ष की अन्तिम परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्याकंन सम्बन्धित केन्द्रीय मुख्य शिक्षक की निगरानी मे केन्द्रीय प्राथमिक पाठशाला में ही करवाया जायेगा व इस प्रयोजन हेतु सम्बन्धित केन्द्रीय मुख्य शिक्षक अपने अधीनस्थ पाठशालाओं में से आवश्यकतानुसार स्टॉफ नियुक्त कर सकते हैं।
5. प्रत्येक संकुल (Cluster) में 24.12.2009 से पूर्व उप-निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा प्रतिनियुक्त अनुभवी अध्यापकों जिनमें अधिकतर प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक होगें , द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं की नमूना जांच की जायेगी। इसी टीम द्वारा सतत् समग्र मूल्याकंन के अन्तर्गत सम्बन्धित पाठशालाओं द्वारा दिये गये अंकों के सम्बन्ध में पहले ही पड़ताल की जायेगी व प्रत्येक क्लस्टर मे कम से कम एक पाठशाला में (Monitoring) अनुश्रवण का यह कार्य किया जायेगा। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति उसी क्षेत्र में तैनात प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक में से की जाए। टीम में शामिल प्रत्येक पर्यवेक्षक को कम से कम 5 केन्द्र पाठशालाओं का निरीक्षण करना होगा।

   जब उपरोकत आधार पर विद्यार्थी के कुल अंक प्राप्त होते है तो उसे निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा ग्रेड जारी किये जायेगें।
6. सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पांचवी कक्षा में परीक्षाओं के लिए 40 प्रतिशत व सतत् समग्र मूल्याकंन के लिए 60 प्रतिशत अंक रखे जायेगें। अतः पहली व दूसरी तिमाही की परीक्षा के लिए 100-100 अंक रखे जाएगें अर्थात प्रत्येक विषय के 25 अंक होगें व अन्तिम तिमाही परीक्षा या वार्षिक परीक्षा के लिए 200 अंक होगे। अर्थात प्रति विषय 50 अंक। इसी प्रकार

सी0सी0ई0 हेतु प्रत्येक तिमाही में 200 अंक होगें। चुंकि इन 200 अंकों में सें 20 प्रतिशत अर्थात 40 अंक सह-संज्ञानात्मक उपलब्धि के लिए रखें जायेगें । अतः विषय वार प्रत्येक तिमाही में 40 अंक होगें। विभिन्न विषयों में सी0सी0ई0 के तहत प्राप्त ग्रेडों को कन्वरज़न टेबल (जो कि रिजल्ट कम्पाइलेशन शीट के पिछले पृष्ठ में दिया गया है) के दिशा निर्देशों के अनुसार अंकों में बदलें व संलग्न सारिणी में दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रत्येक तिमाही का परीक्षा परिणाम व सी0सी0ई0 ग्रेड विषय वार कॉलम 6,7,8,9,12,13,14,15 व 18,19,20,21 में दर्ज करें।

परीक्षा के ग्रेड निर्धारित करने हेतु पहले चारों विषयों के अंक जोड़ लें व तत्पश्चात् अंको की प्रतिशतता ज्ञात करें । इस प्रकार प्राप्त संख्या को कन्वरज़न टेबल देखकर समानान्तर ग्रेड में बदलें। जैसा कि टेबल में दिए गए उदाहरण में रमा को पहली तिमाही में 100 में से 84 अंक अर्थात् 84 प्रतिशत अंक मिलें जो कि 4.3 ग्रेड के समानान्तर है। इसी प्रकार सी0सी0 ई0 के तहत प्राप्त ग्रेडों में जिसमें कि सह-संज्ञानात्मक ग्रेड भी शामिल होगें। पांचों ग्रेडज़ को जोड़कर कुल प्राप्त ग्रेड को 5 से भाग दे जैसे कि दिए गए उदाहरण में 3.6+3.7+4.2+4.7+3.8 = 20.0 व 20.0/5 बराबर है 4। अब परीक्षा तथा सी0सी0 ई0 दोनों के ग्रेड जोड लें व उसे 2 से विभाजित करें। उपरोक्त उदाहरण में 4.3+4= 8.3 । अतः रमा ने 8.3/2, जो लगभग बराबर हैं 4.2 ग्रेड के। यह ग्रेड कन्वरज़न टेबल में 83 प्रतिशत अंकों के बराबर है। इस प्रकार प्राप्त परिणाम के आधार पर नीचे दी गई सारणी के अनुसार सभी विद्यार्थियों को ग्रेड दिए जाएंगे।अतः उपरोक्त उदाहरण में रमा B+ ग्रेड में (अत्युत्तम) उतीर्ण हुई। देखें (अनुलग्नक 'अ' व 'ब')।

प्रत्येक विषय में विद्यार्थियों की ग्रेडिंग 0से 5 तक के स्केल पर की गई है व सी0सी0ई0 के तहत एक विषय के 40 अंक हैं अतः 1 ग्रेड 8 अंकों के बराबर होगा। उपरोक्त उदाहरण में रमा द्वारा प्राप्त 4.0 ग्रेड बराबर है 32 अंकों के । इसी प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी के अंक ग्रेडों में व ग्रेड अंकों में परिवर्तित हो सकते हैं। परन्तु यह ध्यान रखा जाये कि ग्रेडों को अंकों में तभी परिवर्तित किया जाये जब कि ऐसा मैरिट सूची अथवा छात्रवृति पर निर्णय लेने हेतु आवश्यक हो । साधारणतः परीक्षा परिणाम ग्रेड के आधार पर घोषित करना ही उचित होगा। इस प्रकार गणना करने से विद्यार्थी के परीक्षा में प्राप्त अंको का अनुशोधन सतत् समग्र मूल्याकंन से हो जाता है व स0स0मू0 के अंकों का अनुशोधन परीक्षा के अंकों से हो जाता है व विद्यार्थी के उपलब्धि स्तर का सही रूप में पता चल जाता है।

इसी प्रकार दूसरी व तीसरी तिमाही के बाद भी प्रत्येक विद्यार्थी का उपलब्धि स्तर जान सकते है। प्रत्येक तिमाही के बाद उपलब्धि स्तर की गणना अन्य दो तिमाहियों से पूर्णतः स्वतन्त्र होगी ताकि उपलब्धि स्तर में सुधार का भी पता चल सकें। वर्ष के अन्त में तीनो तिमाहियों के परिणाम को समग्र रूप में भी अंकित किया जायेगा। उपरोकत उदाहरण में तीनों तिमाही परीक्षाओं में रमा ने 400 में से कुल 350 अंक अर्जित किए जो कि 87.5 प्रतिशत है। (दशमलव के नियमों के अनुसार इसे 88 प्रतिशत मान सकते हैं)। कन्वरज़न टेबल के अनुसार 88 का समानान्तर ग्रेड 4.5 होगा। इसी प्रकार स0स0 मू0 के कुल 15 गेडों का जोड़ बनता है 65 व औसत होगा 4.33। अब दोनों परीक्षा व स0स0मू0 के ग्रेडों का औसत होगा 4.4 जो कि कन्वरज़न टेबल के अनुसार 87 का समकक्ष आता है अतः रमा का पूरें वर्ष का उपलब्धि स्तर B+ ग्रेड (अत्युत्तम) रहा। यदि रमा विद्यालय अथवा खण्ड स्तर पर प्रथम , द्वितीय या तृतीय स्थान के नजदीक है तो उसके परीक्षा के 350 अंकों में स0स0मू0 के 600 अंकों का 85 प्रतिशत (जो कि कन्वरज़न टेबल के अनुसार 4.33 के समानान्तर है),अर्थात 510 अंक जोड़ दिए जाएगें व मैरिट में उसका स्थान निर्धारित हो जायेगा।

7. परीक्षा के कार्य को समयबद्ध प्रमुखता के आधार पर किया जाना है। अवकाश के दिन कार्य करने पर प्रतिपूरक अवकाश देय/ स्वीकृत किया जायेगा । अतः इस अवधि के दौरान अवकाश के दिन भी कार्य करना होगा।
8. दिनांक 24.12.2009 तक अंक सूची व परीक्षा परिणाम केन्द्रवार तैयार किया जायेगा तथा इसके तुरन्त बाद संबन्धित खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी इस परिणाम के आधार पर 1से 25 स्थान तक पूरे खण्ड की योग्यता सूची बनाएगें। यह कार्य दिनांक 26.12.2009 तक पूरा करके संबन्धित खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, परीक्षा परिणाम व योग्यता सूची की दो प्रतियां सील बन्द लिफाफे में उप-निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा तक पंहुचायगें। जंहा पर एक से अधिक विद्यार्थी एक ही ग्रेड में आते हैं वंहा पर मैरिट सूची में स्थान निर्धारण के लिए अथवा छात्रवृति हेतु पात्रता निर्धारित करने के लिए छात्रों के ग्रेड पुनः अंकों में बदल दिए जायेगें ।
9. परीक्षा से सम्बन्धित रजिस्टर व परिणाम से सम्बन्धित शीट , सम्बन्धित केन्द्रीय मुख्य शिक्षक द्वारा सीलबन्द पैकेट मे कम से कम एक वर्ष तक सुरक्षित रखा जायेगा। संबन्धित पाठशाला में भी अनुमोदित परीक्षा परिणाम की एक प्रति रिकार्ड में रखी जायेगी।
10. उप-निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा जिला स्तर पर 1 से 25 तक की योग्यता सूची बनाई जायेगी। दिनांक 28.12.2009 को खण्ड का परीक्षा परिणाम व योग्यता सूची की प्रतियों के साथ जिला स्तर की योग्यता सूची की प्रतियां भी सम्बन्धित जिले के खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों को बन्द लिफाफे में दे दी जायेंगी ।
11. दिनांक 29.12.2009 को खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षा परिणाम व योग्यता सूची की एक प्रति (खण्डवार) व परीक्षा परिणाम पर उनकी स्वीकृति /आदेश सम्बन्धित पाठशाला के केन्द्रीय मुख्य शिक्षक को दे दी जायेंगी व तदोपरान्त ही

पाठशाला के प्रभारी द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा। परिणाम घोषित करते समय बच्चों के द्वारा प्राप्त ग्रेड ही घोषित किए जायेगें। केवल खण्ड व जिला स्तरीय मैरिट सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के अंक ही घोषित होगें। परीक्षा परिणाम की एक प्रति सम्बन्धित बी0आर0सी0 को भी दी जायेगी।

12. दिनांक 31.12.09 को प्रारम्भिक पाठशालाओं के केन्द्रीय मुख्य शिक्षक द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा तथा 01-01-2010 से 15-02-2010 तक पाठशालायें शीतकालीन अवकाश (Winter vacation) हेतू बन्द होनी हैं ।

13. खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी अपने कार्यालय के बाहर जिला स्तर व खण्ड स्तर की योग्यता सूचियां सूचना पट्ट पर लगायेगे ।

14. पांचवी कक्षा की वार्षिक परीक्षा हेतू केन्द्र में परिवर्तन अथवा पुनः निर्धारण मामलों की अनुपालना इस निदेशालय के पत्र संख्याः शिक्षा (प्रा0)(एच)(4)4-6/2000 दिनांक 01.09.2000 के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुसार करें ।

15. इस निदेशालय के पत्र संख्याः शिक्षा (प्रा0)(एच)(4)4-5/2002 दिनांक 06.06.2002 के अन्तर्गत नेत्रहीन गूगें,बहरे तथा शारीरिक रूप से विकलांगों को अतिरिक्त 30 मिनट का समय दिये जाने बारे अनुदेशों की पालना करें एवं जो बच्चे मंद बुद्वि की माइल्ड श्रेणी में आते हैं तथा 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक मंद बुद्वि हैं उन्हे औपचारिक शिक्षा के लिए परीक्षाओं में स्वीकार करें। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की अधिसूचना न0 हि0 शि0 बो0 (2)/सा0/ बोर्ड 92वीं बैठक/मद 25/08-2992-3045 दिनांक 9/9/08 के अनुसार अनुदेशों की पालना करें।

16. सरकार ने अपने पत्र संख्याःईडीएन-सी-एफ(1)1/2003-लूज दिनांक 4-11-2009 के अर्न्तगत समस्त उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा तथा खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा को ग्रेडिंग अधिसूचना प्रेषित की गई है की छायाप्रति पुनः संलग्न है।

17. सभी उप-निदेशक (प्रार0 एवं उच्च शिक्षा) से यह अनुरोध है कि वे इस आदेश की प्रति अपने जिला की सभी पाठशालाओं में उपलब्ध करवायें। इसके अतिरिक्त इसी आदेश की प्रति सर्व शिक्षा अभियान की बैवसाईट www.hp.gov.in/ssa पर भी उपलब्ध हैं।

हस्ता/-
निदेशक

पृष्ठांकन संख्याः दिनांक : शिमला- 171001, नवम्बर, 2009

प्रतिलिपि निमनलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1.प्रधान सचिव (प्रार0शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002.
2.सचिव, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला, कांगड़ा (हि0 प्र0)
3.समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश ।
4.निदेशक उच्च शिक्षा हिमाचल प्रदेश शिमला-1
5.समस्त शाखा अधिकारी/अधीक्षक प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय/उच्च शिक्षा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश

हस्ता/-
निदेशक्